PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rashtriya Sahara, Delhi
Wednesday 30th April 2014, Page: 12
Width: 9.64 cms, Height: 10.11 cms, a4, Ref: pmin.2014-04-30.44.120

विलय पर यथास्थिति बनाए रखें सन फार्मा और रैनबैक्सी : कोर्ट

हैदराबाद (भाषा)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सन फार्मा और रैनबैक्सी मामले में अंतरिम यथास्थिति बनाए रखने के आदेश बीएसई तथा एनएसई को दिए हैं।

उच्च न्यायालय ने कुछ व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा दाखिल रिट याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए। अदालत ने सेबी, बीएसई, एनएसई, सन फार्मा, रैनबैक्सी, दाइची सांक्यो व सिल्वर स्ट्रीट डेवलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश पी. नवीन राव ने अपने आदेश में कहा, 'अंतरिम यथास्थिति रहेगी।' याचिका में कहा गया है कि छह अप्रैल को सन फार्मा के साथ विलय से पहले रैनबैक्सी के शेयरों में भारी कारोबार देखा गया। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह बाजार नियामक सेबी को रैनबैक्सी के शेयरों में भेदिया कारोबार की जांच का आदेश दे। इसके साथ ही आग्रह किया गया है कि बीएसई व एनएसई को इन दोनों कंपनियों के विलय को मंजूरी देने से रोका जाए। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में सन फार्मा व रैनबैक्सी को सीसीआई आदि अन्य संस्थानों से मंजूरी लेने से पहले बीएसई तथा एनएसई की स्वीकृति लेनी होगी।

अदालत ने इस मामले में सेबी, बीएसई, एनएसई, दाइची और सिल्वर स्ट्रीट को नोटिस जारी किए